**FORM III**

# फर्द अहकाम

**( नियम-26 )**

अज अदालत........................................................................................................................................

.......................................उपखण्ड अधिकारी..............................बनाम....नीमकाथाना

किस्म मुकदमा.........................................................................म्.नं. ..................................

रामेश्वर महावीर

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज |
|---|---|
| | प्रार्थना पत्र पत्थरगढी 05/2018 |
| 26.02.21 | पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील उभय पक्ष उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया तथा वकील अप्रार्थी ने इस पर एतराज करते हुये पुनः सीमाज्ञान करने का कथन किया। बहस सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात, फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान दिनांक 28.06.2017 का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि राजस्व ग्राम गांवडी स्थित वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी 3 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 275/6600 है तथा प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में सम्पूर्ण भूमि की पत्थरगढ़ी का अनुतोष चाहा है। अतः अन्य [illegible] खातेदार एवं पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद [illegible] संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है। |

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.02.27 20:08:30 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | **आदेश**<br>उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम गांवडी स्थित भूमि खसरा नंबर 1139/1 कुल रकबा 0.66 है0 की प्रार्थी, अन्य सह खातेदार एवं पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान 28.06.2017 पत्थरगढ़ी की जावे। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो।<br>निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।<br>(बृजेश कुमार)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>नीमकाथाना | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.02.27 20:08:30 IST
Reason: SelfAttested